

भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (1) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22क) के अन्तर्गत)

राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना
अग्निशमन केंद्र (प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय-छपरा

पत्रांक- 409

दिनांक- 03-Sep-2026

सेवा में,

Saraswati Shishu Vidya Mandir,
Darshan nagar Chapra Saran,
Saran, BIHAR

विषय:- भवन अथवा परिसर का अग्नि अंकेक्षण हेतु नोटिस

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि-

- (1) आपका भवन/परिसर में 0 तलघर एवं 2 मंजिल है।
- (2) अग्नि आपदा से जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता/अपर्याप्तता का जाँच हेतु भवन / परिसर का अग्नि अंकेक्षण आवश्यक है।
- (3) बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (1) के अधीन बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम-22 (क) के अन्तर्गत अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने हेतु 3 घंटे की नोटिस के पश्चात सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अथवा अत्यावश्यक समझे जाने पर किसी भी समय बिना नोटिस के किसी भी भवन अथवा परिसर में प्रवेश कर अग्नि अंकेक्षण करने हेतु शक्ति प्रदत्त है।

अतः उक्त प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत आपके भवन/परिसर का अग्नि अंकेक्षण दिनांक-04/09/2026 से 07/09/2026 तिथि सीमा के दौरान ऑडिट विजिट का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाएगा। कृपया स्वयं / प्रतिनिधि के माध्यम से अग्नि अंकेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेख के साथ उपस्थित रहेंगे।

यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया गया है और इसके लिए किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

Notice for Fire Audit of Building or Premises

(Under section- 33 and 43(1) of Bihar Fire Service Act. 2014. under rule-22 (a) of Bihar Fire Service Rules. 2021)

**Office of the State Fire Officer-cum-Director, Bihar, Patna. Office of the Fire Station
(Authorized Officer) Chapra**

Letter no.- 409

Date- 03-Sep-2026

To,

Saraswati Shishu Vidya Mandir,
Darshan nagar Chapra Saran,
Saran,BIHAR

Sub:- Notice for fire audit of the building or premises.

Sir,

With respect to the above mentioned reference and subject, it is to say that-

- (1) There are **0** basements and **2** floors in your building / premises.
- (2) The fire audit of the building / premises is necessary for verification of adequacy/inadequacy of the fire prevention and fire safety measures for the safety of life and property from fire disaster.
- (3) Under rule-22(a) of Bihar Fire Service Rules, 2021 under section 33 and 43(1) of Bihar Fire Service Act, 2014, the power for fire audit is conferred, for ensuring the fire prevention and fire safety measures, after entering in any type of building or premises between sunrise to sunset, after notice of 3 hours or at any time without notice in case of thinking of urgency.

That is why, the fire audit of your building/premises will be done on date range **04/09/2026** to **07/09/2026** time will be scheduled between **sunrise and sunset** under the above mentioned conferred powers. Please, will remain/present for fire audit yourself /vide your representative with necessary documents.

This electronically generated and does not require any signature.